

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 168/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

विलक्स हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, कार्यालय : चतुर्थ तल, कैलाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गॉंधी मार्ग,
कनाट पैलेस, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सीताराम प्रजापत पुत्र श्री चतुर्भुज प्रजापत,
पता :- प्लॉट नम्बर 29, देव राज नगर-3, ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
एवं भारत स्टोन्स, श्योपुरा रोड, मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
2. श्री प्रभुलाल कुम्हार पुत्र श्री चतुर्भुज कुम्हार,
पता :- प्लॉट नम्बर 29, देव राज नगर-3, ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
एवं चारभुजा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भोजपुरा, पोस्ट झाडला, डिग्गी रोड, फागी, जयपुर।
3. श्री हनुमान पुत्र श्री चतुर्भुज,
पता :- प्लॉट नम्बर 29, देव राज नगर-3, ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
एवं हनुमान कन्स्ट्रक्शन, 29, देव राज नगर-3, ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
4. श्री प्रहलाद प्रजापत पुत्र श्री चतुर्भुज,
5. श्री चतुर्भुज पुत्र श्री रामदेव,
पता :- प्लॉट नम्बर 29, देव राज नगर-3, ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
एवं भोजपुरा, पोस्ट झाडला, डिग्गी रोड, फागी, जयपुर।
6. श्री भूल देवी पत्नी श्री सीताराम प्रजापत,
पता :- प्लॉट नम्बर 29, देव राज नगर-3, ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री रवि कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक : 20.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21-06-2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सीताराम, श्री प्रहलाद, श्री प्रभुलाल व श्री हनुमान पुत्रान् श्री चतुर्भुज के संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 29, देव राज नगर-3, ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर 30,20,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29-09-2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 30,20,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 31,86,571.02/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सीताराम, श्री प्रहलाद, श्री प्रभुलाल व श्री हनुमान पुत्रान् श्री चतुर्भुज के संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 29, देव राज नगर-3, ग्राम मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तरे हो।
6. आदेश आज दिनांक 20.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



440
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर